

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक/मान्यता/नियम संशोधन/जे/2026/1446
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13.10.26

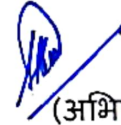
समस्त जिला कलेक्टर,
म0प्र01

विषय:-मध्यप्रदेश (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला) मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित नियम 2020, 2021) तथा संशोधित नियम 2026 के नियम 5 उप नियम (6) के संबंध में कार्यवाही बावत।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला) मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित नियम 2020, 2021) तथा संशोधित नियम 2026 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में दिनांक 31 जुलाई 2026 को किया गया है, साथ ही विभागीय मान्यता पोर्टल <https://manyta.dpimp.in/SSOindex.aspx#SchoolNOC> पर भी नियम की प्रति उपलब्ध है। संशोधित नियम 2026 के नियम 5 उप नियम (6) में खेल मैदान तथा सुविधाएं का प्रावधान है।

2/ अतः उपरोक्त प्रावधान अनुसार अशासकीय विद्यालयों के मान्यता प्रकरणों में नियमानुसार समुचित कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे।



(अभिषेक सिंह)

आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13.10.26

पृ०क्रं./मान्यता/नियम संशोधन/जे/2026/1447
प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन।
 2. सचिव, म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. समस्त आयुक्त, नगर पालिका निगम, म0प्र0।
 4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0।
 5. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0प्र0
 6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0।
 7. समस्त प्राचार्य/संचालक अशासकीय विद्यालय, म0प्र0।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



आयुक्त

लोक शिक्षण म0प्र0